

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की चौबीसवीं बैठक की कार्यवाही विवरण

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के प्रबन्ध मण्डल की चौबीसवीं बैठक दिनांक 28 जनवरी, 2025 (मंगलवार) को प्रातः 11.30 बजे प्रो. ए. के. व्यास, माननीय कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निम्न वर्णित अधिकारियों ने भाग लिया : -

1.	डॉ. (प्रो.) ए.के. व्यास, माननीय कुलपति	अध्यक्ष	
2.	श्री प्रताप सिंह सिंघवी, माननीय विधायक (छबड़ा), राजस्थान विधानसभा	सदस्य	ऑनलाइन
3.	डॉ. विनय भारद्वाज, निदेशक, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर (प्रतिनिधि - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली)	सदस्य	ऑनलाइन
4.	श्री रोहित दीक्षित, वरिष्ठ लेखाधिकारी, सी.ए.डी., कोटा (प्रतिनिधि - प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार)	पदेन सदस्य	
5.	डॉ. प्रताप सिंह, निदेशक प्रसार शिक्षा, कृ.वि., कोटा	सदस्य	
6.	डॉ. आशुतोष मिश्रा, अधिष्ठाता, उ.वा.महा., झालावाड़	सदस्य	
7.	डॉ. डी.के. सिंह, प्रोफेसर व वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृ.वि.के., अन्ता	सदस्य	
8.	डॉ. एस.के. जैन, निदेशक अनुसंधान	विशेष आमन्त्रित	
9.	डॉ. आई.बी. मौर्य, निदेशक शिक्षा	विशेष आमन्त्रित	
10.	डॉ. विधि शर्मा, वित्त नियंत्रक	विशेष आमन्त्रित	
11.	श्रीमती मनीषा तिवारी, कुलसचिव	सदस्य सचिव, प्रबन्ध मण्डल	

उक्त बैठक में प्रमुख शासन सचिव (कृषि), प्रमुख शासन सचिव (पशुपालन), सचिव (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा), राजस्थान सरकार, जयपुर एवं इनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो सके।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात सदस्य सचिव एवं कुलसचिव द्वारा प्रथम बार नामित सदस्य श्री प्रताप सिंह सिंघवी, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, डॉ. विनय भारद्वाज, निदेशक, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, तबीजी, अजमेर एवं डॉ. आशुतोष मिश्रा, अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन किया तथा डॉ. आई.बी. मौर्य द्वारा प्रबन्ध मण्डल में किये गये कार्य की प्रशंसा की गई। डॉ. एस.के. जैन, निदेशक अनुसंधान ने स्लाइड शो के माध्यम से विश्वविद्यालय की मुख्य उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विभिन्न कार्यसूचियों पर चर्चा उपरांत निम्न निर्णय लिए गए -

बोम-24 / 2025 / 01:	तेईसवीं प्रबंध मंडल की दिनांक 19.06.2024 को आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।
निर्णय :	प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 19.06.2024 को आयोजित की गई तेईसवीं बैठक का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही विवरण पर कोई टिप्पणी न होने की दशा में सर्वसम्मति से स्वीकार कर पुष्टि की गई।
बोम-24 / 2025 / 02:	तेईसवीं प्रबंध मंडल की दिनांक 19.06.2024 को आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
निर्णय :	प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 19.06.2024 को आयोजित की गई तेईसवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

बोम-24/
2025/03:

विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सी.ए.एस.) के तहत निजी पदोन्नति के प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत।

विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की न्यूनतम अहर्ताओं, निर्दिष्ट स्कोर कार्ड तथा वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्क्रीनिंग कर अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की गई।

विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापक स्टेज I (पे लेवल AL-10) से सहायक प्राध्यापक स्टेज II (पे लेवल AL -11) तथा सहायक प्राध्यापक स्टेज II (पे लेवल AL -11) से सहायक प्राध्यापक स्टेज III (पे लेवल AL -12) में पदोन्नति हेतु योग्य सहायक प्राध्यापकों के नाम प्रबंध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

सर्वसम्मति से निम्नानुसार 24 सहायक प्राध्यापकों को स्टेज I (पे लेवल AL-10) से स्टेज II (पे लेवल AL -11) तथा 04 सहायक प्राध्यापकों स्टेज II (पे लेवल AL -11) से स्टेज III (पे लेवल AL -12) में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई पात्रता दिनांक से निजी पदोन्नति (Personal Promotion) का लाभ देने हेतु अनुमोदन किया गया:-

1. सहायक प्राध्यापक स्टेज-I (AL 10) से सहायक प्राध्यापक स्टेज-II (AL 11)

S.No.	Name of the Assistant Professor & Place of posting	Discipline	Date of moving into Stage- II (AL 11)
1.	Dr. (Mrs.) Chaman Kumari Jadon, AU, Kota	Agronomy	26.04.2022
2.	Dr. Chirag Gautam, AU, Kota	Plant Pathology	26.04.2022
3.	Dr. Vinod Kumar Yadav, COA, Kota	Soil Science	26.04.2022
4.	Dr. Rajesh Kumar, MAF, Kota	Agronomy	27.04.2022
5.	Dr. Suresh Kumar Jat, CH&F, Jhalawar	Entomology	27.04.2022
6.	Dr. (Ms.) Sandhya, ARS, Kota	Genetics & Plant Breeding	27.04.2022
7.	Dr. Manoj Kumar, ARS, Kota	Genetics & Plant Breeding	27.04.2022
8.	Dr. Anil Kumar Gupta, CH&F, Jhalawar	Plant Physiology	27.04.2022
9.	Dr. Bhuvnesh Nagar, AU, Kota	Forest Product Utilization	28.04.2022
10.	Dr. Priyanka Solanki, CH&F, Jhalawar	Agricultural Business Management	01.05.2022
11.	Dr. Anchal Sharma, CH&F, Jhalawar	Wildlife Sciences	02.05.2022
12.	Dr. Hemraj Chhipa, CH&F, Jhalawar	Microbiology	03.05.2022
13.	Dr. Kanica Upadhyay, CH&F, Jhalawar	Forest Product Utilization	04.05.2022
14.	Dr. Hanuman Singh, COA, Hindoli	Plant Pathology	09.05.2022
15.	Dr. Shankar Lal Yadav, ARSS, Khanpur	Agronomy	10.05.2022
16.	Dr. Rakesh Kumar Yadav, COA, Kota	Horticulture	11.05.2022
17.	Dr. Rajendra Yadav, ARS, Kota	Soil Science	16.05.2022
18.	Dr. Bhuri Singh, MAF, Kota	Genetics & Plant Breeding	17.05.2022
19.	Dr. D.L. Yadav, ARS, Kota	Plant Pathology	17.05.2022
20.	Dr. Khajan Singh, ARS, Kota	Genetics & Plant Breeding	23.05.2022
21.	Dr. Anju S. Vijayan, CH&F, Jhalawar	Forest Product Utilization	28.06.2022
22.	Dr. Lokesh Kumar Meena, COA, Kota	Agriculture Economics	04.07.2022
23.	Dr. Varsha Gupta, ARS, Kota	Agronomy	20.07.2022
24.	Dr. Rahul Chopra, CH&F, Jhalawar	Soil Science	24.08.2022

2. सहायक प्राध्यापक स्टेज-II (AL 11) से सहायक प्राध्यापक स्टेज-III (AL 12)

S.No.	Name of the Assistant Professor & Place of posting	Discipline	Date of moving into Stage- III (AL 12)
1.	Dr. Ram Kishan Meena, COA, Kota	Agronomy	25.08.2021
2.	Dr. H.P. Meghwal, ARS, Kota	Entomology	24.10.2021
3.	Dr. Ashok Kumar, CH&F, Jhalawar	Biotechnology	25.09.2022
4.	Dr. Rajesh Kumar Mahawar, COA, Hindoli	Genetics & Plant Breeding	09.12.2022

(कार्रवाई : समन्वयक भर्ती प्रकोष्ठ / कुलसचिव)

6X

बोम-24 / 2025 / 04:	विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के पद पर सीधी भर्ती हेतु चयन समिति की संस्तुति के अनुमोदन बाबत।
निर्णय :	सहायक कुलसचिव के पद पर चयनित अभ्यर्थी का नाम चयन समिति की सिफारिश पर विचार कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। माननीय प्रबंध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सहायक कुलसचिव पद हेतु चयन समिति के द्वारा चयनित अभ्यर्थी के नाम की अनुशंसा निम्न टिप्पणी के साथ प्रस्तुत की गई:- “The recommendation is subject to verification of documents and fulfilment of eligibility criteria” इस उद्देश्य हेतु प्रबंध मण्डल में सर्वसम्मति से निम्न 03 सदस्य की समिति गठित की गई:- 1. डॉ. विनय भारद्वाज, निदेशक, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, तबीजी, अजमेर-अध्यक्ष 2. श्री रोहित दीक्षित, प्रतिनिधी प्रमुख शासन सचिव, वित्त राजस्थान सरकार जयपुर - सदस्य 3. श्रीमती मनीषा तिवारी, कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा- सदस्य सचिव गठित समिति 15 दिवस में अभ्यर्थी की पात्रता एवं दस्तावेज जांच संबंधी कार्यवाही पूर्ण करेगी और माननीय कुलपति महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसे आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में सदन के समक्ष रखी जायेगा। समस्त सदस्यों द्वारा गठित समिति एवं उक्त कार्यवाही के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। (कार्रवाई : समन्वयक भर्ती प्रकोष्ठ / कुलसचिव)
बोम-24 / 2025 / 05	माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में विषय वस्तु विशेषज्ञ (गृह विज्ञान) के पद पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर अनुमोदन बाबत। S.B. Civil Writ petition No. 8223/2018 (Dashrath Bhati V/S/ Agriculture University, Kota) एवं S.B. Civil Writ petition No. 6346/2019 (Tulika Acharya V/s Agriculture University, Kota) प्रकरणों की संयुक्त सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.11.2024 के माध्यम से दशरथ भाटी की याचिका S.B. Civil Writ petition No. 8223/2018 को खारिज किया तथा विश्वविद्यालय को तुलिका आचार्य की मेरिट तथा योग्यता के आधार पर उम्मीदवारी मानने का आदेश दिया है। अतः विश्वविद्यालय के विज्ञापन संख्या AUK/2017/02/8320 दिनांक 12.10.2017 द्वारा विज्ञापित विषय वस्तु विशेषज्ञ (गृह विज्ञान) के एक पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना तथा चयन समिति की अनुशंसा में इस पद पर डॉ. तुलिका आचार्य पुत्री श्री मधुसुदन आचार्य को नियुक्ति दिए जाने का प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
निर्णय :	विश्वविद्यालय के विज्ञापन संख्या AUK/2017/02/8320 दिनांक 12.10.2017 द्वारा विज्ञापित विषय वस्तु विशेषज्ञ (गृह विज्ञान) के एक पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना तथा चयन समिति की अनुशंसा में इस पद पर डॉ. तुलिका आचार्य पुत्री श्री मधुसुदन आचार्य को नियुक्ति दिए जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। वित्त नियंत्रक एवं प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार की Observation एवं विधिक सलाह अनुसार याचिकाकर्ता डॉ. तुलिका आचार्य को बिना किसी परिणामी लाभ जिसमें एरियर एवं वरिष्ठता शामिल हैं के उपर्युक्त पद पर नियुक्त करते हुए नई नियुक्ति जारी की जायें। जिसे प्रबंध मण्डल में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। (कार्रवाई : समन्वयक भर्ती प्रकोष्ठ / कुलसचिव)

बोम-24 / 2025 / 06	22वीं विद्या परिषद की दिनांक 21.12.2024 को आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत। विद्या परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 को आयोजित की गई, बैठक का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसे अवलोकन उपरान्त माननीय सदस्यों के द्वारा अनुमोदन किया गया, पारित निर्णय निम्न प्रकार है:
निर्णय :	• स्नातक (ऑनर्स) कृषि के लिए 6वीं डीन समिति की रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित सामान्य शैक्षणिक विनियमों को मंजूरी। (कार्रवाई : अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटा) • स्नातक (ऑनर्स) कृषि के लिए पाठ्यक्रम का अनुमोदन। (कार्रवाई : अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटा) • कृषि संकाय के विभिन्न विभागों की पाठ्यक्रम समितियों का अनुमोदन। (कार्रवाई : अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटा) • स्नातक (ऑनर्स) उद्यानिकी एवं स्नातक (ऑनर्स) वानिकी के लिए सामान्य शैक्षणिक विनियमों का कार्यान्वयन। (कार्रवाई : अधिष्ठाता, उ. एवं वा. महाविद्यालय, झालावाड़) • स्नातक (ऑनर्स) उद्यानिकी एवं स्नातक (ऑनर्स) वानिकी के लिए पाठ्यक्रम की स्वीकृति। (कार्रवाई : अधिष्ठाता, उ. एवं वा. महाविद्यालय, झालावाड़) • वन्यजीव प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम को मंजूरी। (कार्रवाई : अधिष्ठाता, उ. एवं वा. महाविद्यालय, झालावाड़) • प्राकृत क्लब (नेचर क्लब) के संचालन के ढांचे अनुमोदन। (कार्रवाई : अधिष्ठाता, उ. एवं वा. महाविद्यालय, झालावाड़) • 6वीं डीन समिति की रिपोर्ट में प्रस्तावित प्रमुख शैक्षणिक गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों का अनुमोदन। (कार्रवाई : निदेशक शिक्षा) • कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा में स्नातक (ऑनर्स), स्नातकोत्तर (कृषि) एवं विद्यावाचस्पति कार्यक्रमों के लिए संशोधित सीट मैट्रिक्स को मंजूरी। (कार्रवाई : अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटा) • शैक्षणिक दस्तावेजों में विशिष्ट कोड संख्या का समावेश। (कार्रवाई : परीक्षा नियंत्रक) • संशोधित शुल्क संरचना में कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से जारी प्रमाण पत्र/दस्तावेजों के लिए शुल्क/फीस तय करना। (कार्रवाई : वित्त नियंत्रक) • नयी 6वीं डीन समिति की रिपोर्ट के अनुसार छात्रों की स्नातक मार्कशीट में चार कॉलम शामिल किया जाना। (कार्रवाई : परीक्षा नियंत्रक) • कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के एजेण्डों की समीक्षा और अनुमोदन करना। (कार्रवाई : निदेशक छात्र कल्याण)

07/

बोम-24/
2025/
टेबल-01

विश्वविद्यालय के 10 सेवानिवृत्त कार्मिकों को एक काल्पनिक वेतनवृद्धि प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन बाबत

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका सं० 9175/2024 श्री इन्द्र नारायण गुप्ता व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.05.2024 को याचिका का निस्तारण करते हुये याचीगणों को 01 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है।

उक्त संबंध में याचिका कर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि हेतु प्रतिवेदन दिनांक 10.06.2024 को प्रस्तुत किया। याचिका कर्ताओं से आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त उक्त प्रकरण को राज्य सरकार को दिनांक 19.07.2024 को भिजवाया गया। उक्त के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2024 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए याचिका कर्ता डॉ. इन्द्र नारायण गुप्ता व 09 अन्य की और से प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विश्वविद्यालय के स्तर से ही सम्यक परीक्षण करके सक्षम स्तर से अपील/नो-अपील का निर्णय लिया जाकर तदनुसार ही निस्तारण किये जाने का निर्देश प्रदान किये हैं।

30 जून को सेवानिवृत्त कार्मिकों को 01 जुलाई का काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में वित्त (नियम वादकरण) विभाग, राजस्थान सरकार के अशा.टीप. क्रमांक प.9(33) वित्त/नियम/2007 जयपुर दिनांक 03.06.2024 द्वारा 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार एक काल्पनिक वेतन वृद्धि दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए हैं:- "माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में केवल जिन सेवा निवृत्त कार्मिकों के पक्ष में निर्णय पारित हुआ है, ऐसे 30 जून को सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाकर पेंशन Refix की जाएगी एवं अंतर मासिक पेंशन ऐरियर राशि का नकद लाभ दिनांक 11.04.2023 अथवा सेवानिवृत्ति दिनांक जो भी बाद में हो, से देय होगा इसके अलावा अन्य कोई लाभ तथा ग्रेच्युटी कंम्यूटेशन उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान देय नहीं होगा"।

वित्त (बजट), सचिव, वित्त विभाग (रूल्स डिवाजन), राज. सरकार ने भी आदेश क्रमांक F. 15(1)FD/Rules/2017 PL-II जयपुर दिनांक 12.09.2024 के द्वारा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि देने हेतु आदेश जारी किया है।

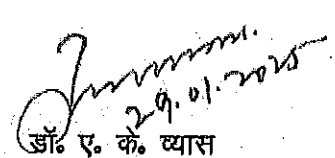
माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2024 में प्रदत्त निर्देशों, वित्त (नियम वादकरण) विभाग, राजस्थान सरकार के अशा.टीप. क्रमांक प.9(33) वित्त/नियम/2007 जयपुर दिनांक 03.06.2024, वित्त (बजट), सचिव, वित्त विभाग (रूल्स डिवाजन), राज. सरकार ने भी आदेश एवं राज्य सरकार के पत्रांक प. 7 (4)कृषि-3/2022 के अनुसरण में 30 जून को सेवानिवृत्त हुये निम्न 10 याचिकाकर्ताओं को एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि नियमानुसार स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया :-

1. Dr. Indra Narain Gupta s/o Shri Ramnath Gupta aged about 66 Years r/o New Jain Colony Near Janta Talkies, Baran, Baran MDG, Rajasthan 325205
2. Jagan Nath s/o Sh. Kanhiya Lal Kushwaha, aged about 67 years r/o Mandipada, Borkhera, Kota, Borkhandi, Kota, Rajasthan 324001
3. Om Prakash s/o Nand Lal aged about 67 years, r/o 827, Near Lucky School, Shreepura, Kota City, Kota, Kota City, Rajasthan 324006
4. Ghanshyam Prasad Rathore s/o Sh Maddu Lal Rathore aged about 66 Years r/o 261, Mansarovar Colony, Raipura, Udyog Puri, Kota, SO Kota, Rajasthan-324004
5. Om Prakash Jain s/o Sh. Lal Chand Jain aged about 68 Years r/o Samta Bhawan ke Piche, Makbara ke Samne, Gulab Badi Kota, Kota City, Rajasthan 324006
6. Kishan Lal s/o Late Sh Gobri Lal, aged about 65 years r/o Mandi Paada, Ganesh ji ke Mandir ke Pichhe, Borkheda Kota Rajasthan, 324001
7. Brij Mohan Sharma s/o Sh. Nand Lal aged about of 61 Years r/o 4-E-3, Mahaveer Nagar 3, Kota, Rajasthan 324005

	8. Ram Asrey s/o Sh. Vishwa Nath aged about 60 Years r/o Tikri Khurd, Kalanpur, Tehsil Shahganj, Tikri Khurd, Jaunpur, Uttar Pradesh - 222139 9. Indramal Sen s/o Sh. Bhanwar Lal aged about 62 years r/o Chhipa Mohalla, Ward no 14, Aklera, Jhalawar, Rajasthan 326033 10. Dr. Gopal Swaroop Bhatnagar s/o Sh. GS Bhatnagar aged about 70 Years r/o B- 328, Talwandi, Kota, Near Krishna Tower Indrapura, Kota, Rajasthan 324005
निर्णय :	विश्वविद्यालय के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के मध्यनजर वित्तीय भार के आंकलन एवं पुनरावलोकन के पश्चात् उक्त एजेण्डे को आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में पुनः प्रस्तुत किये जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। (कार्रवाई : वित्त नियंत्रक)
बोम-24 / 2025 / टेबल-02	सभी संवर्गों एवं पदों पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव अथवा सेवा अनुभव में शिथिलन दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन बाबत। संयुक्त सचिव कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना No. F.7(4)DOP/A-II/2023 दिनांक 05.07.2024 द्वारा विविध सेवा नियमों में उक्तानुसार संशोधन कर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव अथवा सेवा अनुभव में शिथिलन दिये जाने का प्रावधान किया गया है उक्त शिथिलन के प्रावधान को विश्वविद्यालय में लागू करने का प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
निर्णय :	प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। (कार्रवाई : कुलसचिव)
बोम-24 / 2025 / आर-01	विश्वविद्यालय के पेंशनरों को पेंशन हेतु राशि हस्तान्तरित बाबत।
निर्णय :	विश्वविद्यालय के पेंशन फण्ड में पेंशनर्स को पेंशन दिये जाने हेतु पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण माह अप्रैल, 2024 में राशि 200.00 लाख रुपये तथा माह दिसम्बर, 2024 व जनवरी, 2025 में राशि 100.00 लाख रुपये सहित कुल राशि 300.00 लाख रुपये (अक्षरे तीन सौ लाख रुपये मात्र) विश्वविद्यालय विकास कोष से माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदन उपरान्त पेंशन फण्ड में हस्तान्तरित की गई। विश्वविद्यालय के विकास कोष से पेंशन फण्ड में उक्त हस्तान्तरित राशि 300.00 लाख रुपये से पेंशन भुगतान के संबंध में प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसे माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति अनुमोदित किया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को सूचित कर पुर्नभुगतान की मांग की जावे। (कार्रवाई : वित्त नियंत्रक)

अंत में, कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, प्रबंध मण्डल श्रीमती मनीषा तिवारी द्वारा उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए आसन के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।


 श्रीमती मनीषा तिवारी
 कुलसचिव एवं सदस्य सचिव,
 प्रबंध मण्डल, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा


 डॉ. ए. के. व्यास
 कुलपति एवं अध्यक्ष,
 प्रबंध मण्डल, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा